

उपाबंध - 3

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम,

2008का नियम 8 (ज) देखें।

(सामुदायिक वन अधिकारों के लिये हक)

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक(कों) का/के नाम श्री किरन सुरीन
(उपाबंध के अनुसार) पिता - श्री दाउद सुरीन
2. ग्राम/ ग्राम सभा : ग्राम - अंकुवा
ग्रामसभा - अंकुवा
3. पंचायत : चिड़िया
4. प्रखण्ड/अंचल : मनोहरपुर प्रखण्ड
5. जिला : पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
6. अ0ज0जा0/अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजाति
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप : Under/Sec. 3(1)b,3(1)c
3(1)g के तहत
निस्तार, लघु वन उत्पाद का
संग्रह/उपयोग, नदी/नाला के
पानी/ मछली का उपयोग, का
सामुदायिक अधिकार

8. शर्तों यदि कोई हों नहीं

9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण

रूढ़िजन्य सीमा और/या खेसरा/कंपार्टमेंट सं० 633.60 एकड़
सहित प्रमुख सीमा चिह्न आरक्षित जंगल
कम्पार्ट नं०-04 (अंकुवा)

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम : श्री किरन सुरीन

हम, अधोहस्ताक्षरी झारखण्ड सरकार के लिये और उसकी ओर से सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लेखित धारकों के हक में यथा उल्लेखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।



वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
झारखण्ड वन प्रमण्डल
राँची



जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा